पत्रांक-अ0सं0क0-03-07/2012......./

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया, पूर्णियां, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण,
किशनगंज, दरभंगा एवं कटिहार

पटना, दिनांक

विषय :- **एम0एस0डी0पी0 के तहत ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी की गई राशि का डी0सी0 विपत्र समर्पित करने के संबंध में ।**

प्रसंगः- **विभागीय पत्रांक 1384 दिनांक 10.9.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के द्वारा BTC Form - 27B(2) की छायाप्रति संलग्न कर ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी की गई राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा करने का निदेश दिया गया था ताकि लंबित डी0सी0 विपत्र का समायोजन हो सके । यद्यपि कुछ जिलों से डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा भी किये गये थे परन्तु विहित-प्रपत्र एवं सारी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किये जाने के कारण महालेखाकार कार्यालय द्वारा आपत्ति कर उसे अनुपालन हेतु लौटा दिये गये हैं । विदित हो कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक माह लंबित ए0सी0 विपत्रों की समीक्षा की जाती है एवं इसी क्रम में यह निदेश दिया गया है कि ए0सी0 विपत्र पर निकासी की गई राशि का शत प्रतिशत डी0सी0 विपत्र महालेखाकार बिहार, पटना को निश्चित रूप से समर्पित कर समायोजन करने की कारवाई की जाये ।

अनुरोध है कि ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी की गई राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करते हुए असमायोजित राशि का समायोजन कराने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन
ह0/-
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 1900 पटना, दिनांक 4/12/15

प्रतिलिपि- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियां, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण, किशनगंज, दरभंगा एवं कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव
4.12.15

E:\MSDP\Work 2015-2016\General Hindi Letter\3-7-2012\G Letter.docx